सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

श्रावण 12, गुरूवार, शाके 1945-अगस्त 03, 2023
Sravana 12, Thursday , Saka 1945- August 03, 2023

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो ,परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी ,विज्ञप्तियां आदि।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, जुलाई 13, 2023

संख्या: F37(3) /नि.आ./जो.वि.प्रा/सामान्य/2023/495 :-जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 के धारा 25(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 मार्च, 2023 को मास्टर डवलपमेंट प्लान 2031/जोनल डवलपमेंट प्लान में आरक्षित होटल जोन में होटल जोन से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियां अनुज्ञेय किए जाने का निर्णय लिया गया।

होटल जोन में अनुज्ञेय किये जाने वाली गतिविधियाँ			
1.	होटल	2.	मल्टीप्लेक्स/सिनेमा हॉल
3.	रिसोर्ट	4.	फिल्म सिटी
5.	रिसोर्ट हाउसिंग	6.	गेस्ट हाउस
7.	वाणिज्यिक मॉल	8.	जिला वाणिज्यिक केन्द्र
9.	वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स	10.	क्लब/पब
11.	बैंक	12.	हॉलिडे कॉटेज
13.	रेस्टोरेन्ट	14.	मोटल
15.	मैरिज गार्डन	16.	कन्वेनशन सेन्टर
17.	बैक्वेट हॉल	18.	फिटनेस सेन्टर
19.	फ्यूल फिलिंग स्टेशन/ पेट्रोल पम्प	20.	सरकारी/जन उपयोगी सुविधाएँ
21.	एम्यूजमेंट/वाटर पार्क		

उपरोक्त उपयोगों को अनुज्ञेय करते समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड/प्रचलित भवन विनियम अनुसार सड़क मार्गाधिकार तथा न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल का प्रावधान सुनिश्चित किया जावें। उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक एवं दो राज्य स्तरीय प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात ही मान्य होगी।

जय नारायण मीणा,
सचिव,
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।